तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रा० पत्र u/s 212 RT Act r.w.O. 39 R 1&2 CPC के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम नांदपुरा तहसील रायपुर की वादग्रस्त भूमि को प्रार्थीया द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07/03/2017 के आधार पर खातेदारी अधिकारी की घोषणा कर कर अपने हिस्से का खाता विभाजन कराने का अनुतोष चाहा गया है। अप्रार्थीगण द्वारा ना तो उक्त रजि० विक्रय पत्र को खारिज कराने का कथन किया है और ना ही सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने का साक्ष्य उपलब्ध है। कब्जाकाश्त मूलवाद में तनकीयात कायम कर साक्ष्य लेकर तय होगा। वादग्रस्त आराजी को लेकर एक अपील नं० 10/2018 उनवान मोहम्मद युनुस बनाम सरपंच ग्राम पंचायत सुवांस इस कोर्ट द्वारा दिनांक 30/03/2026 को निर्णीत की जाकर मृतक अलीमोहम्मद के फौती नामा० नं० 255 दिनांक 05/12/2017 को खारिज किया जा चुका है। Muslim personal law में प्रत्येक मुस्लिम की संपत्ति उसकी self acquired संपत्ति मानी जाती है और इसे transfer करने का पूर्ण अधिकार होता है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया व सुविधा संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है। बैनामा दिनांक 07/3/2017 को होना जबकि मृत्यु दिनांक 05/12/2017 से पूर्व होना प्रतीत होता है लेकिन किस दिनांक को हुई स्पष्ट नहीं है। यदि अपील नं० 10/2018	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	मे डिग्री गये निर्णय दिनांक 30/03/2026 की पालना अन्य खसरो के साथ साथ ख0नं0 283 रकबा 2-07 बीघा पर भी की गई तो उक्त राजि0 विक्रय पत्र के कारण multiplicity of suit बढेगे जिससे प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रा0पत्र0 212 LT Act r.w.o. 39 R1&2 CPC स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि ख0नं0 283 के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते है। अपील सं0 10/2018 उनवान मोहम्मद यूनुस बनाम ग्राम पंचायत सुवांस के अन्य ख0 नम्बरान पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के सामने हो। [signature] 20/5/2026	